



२३३४

३-१२-७८

सौ०स० ४० (२१) निवन्धन फॉरम | १९८७/क०स०स०।

/दिनांक

भारत सरकार

(वित्त-मंत्रालय)

कार्यालय आयकर आयुक्त
मैसाली ग्राउण्ड, मेरठ।

विषय :- आयकर अधिनियम १९६१ को घारा १२-कम्हे निवन्धन हेतु

न्यास/संस्था का नाम एवं पता भरउन फैलेट फैलेट फैलेट,
देली, जैगाल्यार, ग्राउण्ड - फॉरम जाइकाल

दिनांक ११-६-१९८८ को न्यास/संस्था आपन द्वारा गठित उपर्युक्त न्यास/संस्था ने
आयकर अधिनियम १९६१ को घारा १२-के अन्तर्गत नियमीकृत 'काम' में पंजीकरण हेतु आवेदन
नियमीकृत समय के भीतर / २०८५ माह और ६ दिन विलम्ब से प्रस्तुत किया है।
न्यास/संस्था ने विलम्ब में पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करने का पर्याप्त कारण नहीं दिया है इस
लिए विलम्ब को काम नहीं किया जा सकता। परन्तु घारा १२-क (ii) के प्रावधानों के अन्तर्गत
निवन्धन दिनांक १५-५-१९८८ से स्वाकृत किया जाता है।

आवेदन को प्रविष्टि कार्यविधि में रखे गये घारा १२-कम्हे आवेदन रजिस्टर में इस
संख्या ७०१ फॉरम | १९८७ पर की गई है।

सील

जिम्मे देने
(१०३३०३०३०३०)
(अंतर्वास सिंह)
आयकर आयुक्त
मेरठ।

प्रतिलिपि प्रेषित :—

१. न्यास/संस्था उपर्युक्त को हृपया यह बताये कि न्यास/संस्था आयकरदाता की मूर्ती में है ? यदि ऐसा है तो हृपया पूर्ण विवरण के साथ स्थाई लेखा संक्षा भी बताये।
२. आयकर अधिकारी/सहायक आयकर आयुक्त, वार्ड/सकिल उपर्युक्त को यथावित कारंबाई के लिए न्यास/संस्था से प्राप्त लेखा विलम्ब, संगठन के विलेख/सम्मिलन की एक प्रति आदि संलग्न की जा रही है।
३. आयकर उपायुक्त द्वारा को मूलना एवं आवश्यक कारंबाई हेतु।

१०३३०३०३०३०
(१०३३०३०३०३०३०)
आयकर अधिकारी (केंद्रीय मूलना नामा)
हृते-आयकर आयुक्त, मेरठ।